



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112025-267391
CG-DL-E-04112025-267391

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4866]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 4866]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

परिशिष्ट

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

का.आ. 5021(अ).— भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश संख्या 1486(अ) दिनांक 27 मार्च 2025, और 3976(अ) दिनांक 29 अगस्त 2025, जो कि आई.वी. के तरल पदार्थ (विशेष सुविधाओं के साथ नॉन-ग्लास) के अनुसूचित फॉर्म्युलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है को अब से निम्नलिखित जोड़कर पढ़ा जाये:

(1) क्र. संख्या 12 और 13 को सारणी 'ख' में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

क्र.सं	विनिर्माताओं का नाम	उत्पाद/ब्रांड का नाम
(1)	(2)	(3)
12.	मेसर्स आईवी टेक हेल्थकेयर (नीचे नोट डू 3)	ट्विन पोर्ट यूरो हैड बोटल्स
13.	मेसर्स लाइफ इन्फ्यूजन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (नीचे नोट डू 4)	डुयल पोर्ट प्लास्टिक (पीपी) बोटल्स

(2) खंड (इ 3) और (इ 4) को खंड (इ 2) के बाद जोड़ा गया है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“(इ 3) सारणी 'ख' की क्रमांक संख्या 12 में उल्लिखित मेसर्स आईवी टेक हेल्थकेयर के मामले में, सारणी 'क' की केवल क्रमांक संख्या 1, 2 और 4 में निर्दिष्ट फॉर्मूलेशन की कीमतें लागू होती हैं।

“(इ 4) सारणी 'ख' की क्रमांक संख्या 13 में उल्लिखित मेसर्स लाइफ इन्फ्यूजन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, सारणी 'क' की केवल क्रमांक संख्या 1, 2, 4 और 6 में निर्दिष्ट फॉर्मूलेशन की कीमतें लागू होती हैं।

[पी.एन./270/138/2025/एफ/फा. सं. 8(138)/2025/डी.पी/एनपीपीए-डीवी-II]

युविका पंवार, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ADDENDUM

New Delhi, the 4th November, 2025

S. O. 5021(E).— The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1486(E) dated 27th March 2025 and 3976(E) dated 29.08.2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of scheduled formulation packs of I.V. fluids (non-Glass with special features) is henceforth to be read with the following additions:

(1) Sl. No. 12 and 13 shall be added in Table 'B' as below:

Sl. No.	Name of Manufacturer	Product/ Brand Name
(1)	(2)	(3)
12.	M/s IV Tech Healthcare (note e3 below)	Twin Port Euro Head Bottles
13.	M/s Life Infusion Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (note e4 below)	Dual Port Plastic (PP) Bottles

(2) Clause (e3) and (e4) are added after clause (e2) & shall be read as follows:

“(e3) In case of M/s IV Tech Healthcare mentioned in Sl. No. 12 of Table B, only the prices of the formulations specified at Sl. No. 1, 2 and Sl. No. 4 of Table A are applicable”.

“(e4) In case of M/s Life Infusion Pharmaceuticals Pvt. Ltd. mentioned in Sl. No. 13 of Table B, only the prices of the formulations specified at Sl. No. 1, 2, 4 and Sl. No. 6 of Table A are applicable”.

[PN/270/138/2025/F/ F. No. 8(138)/2025/D.P./NPPA-Div.-II]

YUVIKA PANWAR, Assistant Director